

राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
महिला अधिकारिता विभाग

क्रमांक-प.19 ( )नि.म.अ/मॉनिटरिंग/एमपीआर/21-22 | 22764

जयपुर, दिनांक:- 22.7.2022

आदेश

विभागीय योजनाओं की प्रभावशीलता एवं गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए यह आवश्यक है कि योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं/बालिकाओं का राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर से फीडबैक लिया जाकर प्रभावी पर्यवेक्षण किया जावे।

अतः योजनाओं के राज्य स्तरीय प्रभारी, जिला अधिकारी, संरक्षण अधिकारी एवं पर्यवेक्षक को प्रत्येक माह में निम्न संख्या में लाभार्थियों से फीडबैक लेने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं-

(फीडबैक लिये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या)

क्र. सं.	योजना का नाम	राज्य स्तरीय योजना प्रभारी (राज्य स्तर पर)	जिला स्तरीय अधिकारी(DD/AD) (जिला स्तर पर)	संरक्षण अधिकारी (जिला स्तर पर)	पर्यवेक्षक (ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर)
1	महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण (बैच के प्रारम्भ में एवं चालू रहने तक)	5	5	15	15
2	महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण (बैच के प्रारम्भ में एवं चालू रहने तक)	5	5	5	5
3	कौशल सामर्थ्य योजना	5	5	5	5
4	शिक्षा सेतु योजना	5	5	10	20
5	इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना	5	5	5	5
6	महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र और वन स्टॉप सेन्टर	5	5	5	0

प्रत्येक माह पर्यवेक्षक एवं संरक्षण अधिकारी अपनी प्रगति रिपोर्ट जिला स्तरीय अधिकारी को, जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्येक माह प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग को [monitoring.we@gmail.com](mailto:monitoring.we@gmail.com) पर एवं राज्य स्तरीय अधिकारी अपनी प्रगति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रत्येक योजना में अधिकतम लाभार्थियों से फीडबैक के लिये सभी स्तरों पर पृथक-पृथक लाभार्थियों से रैंडम आधार पर फीडबैक लिया जावे तथा जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा साप्ताहिक भौतिक निरीक्षण के साथ भी उक्तानुसार कार्यवाही को सम्मिलित किया जा सकता है।

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

जयपुर, दिनांक:- 22.7.2022

क्रमांक-प.19 ( )नि.म.अ/मॉनिटरिंग/एमपीआर/21-22 | 22765-835

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक, मबावि, राजस्थान।
3. निजी सहायक, शासन सचिव, मबावि विभाग।
4. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, म.अ।
6. अतिरिक्त निदेशक, जेण्डर प्रकोष्ठ, म.अ प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग।

✓ 7. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक  
जेण्डर प्रकोष्ठ  
महिला अधिकारिता